ISSN - 2229-3620
APPROVED UGC CARE
PPS

SHODH SANCHAR BULLETIN
Vol. 10, Issue 40, October-December, 2020
Page Nos. 84-88

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

आदिवासी महिला सशक्तिकरण में आदिवासी विकासविभाग का योगदान

निलेश दे. हलामी*
डॉ. राजविलास कारमोरे**

शोध सारांश

विकास प्रक्रिया में पूरी तरह से भागलेने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास होने वाले महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इससे उच्च उत्पादकता, दक्षता और बेहतर सामाजिक–आर्थिक विकास होता है। सहभागितापूर्ण लोकतंत्र और आर्थिक स्वतंत्रता सशक्तीकरण के प्रमुख तत्व हैं। शिक्षा के माध्यम से उपेक्षित आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाना राष्ट्रीय विकास में एक लंबा रास्ता तय करेगा। आदिवासी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। महिलाओं की शिक्षा का विचारराष्ट्र के विकास में सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है।वर्तमानस्थिति में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाना चुनौतीपूर्ण है। आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण के बिनादेश की सार्थक समावेशी वृद्धि संभव नही है। आदिवासी जंगलों में रहने वाले एक पिछड़े समुदाय हैं, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों ने उनके समग्र सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। वर्तमान शोध पत्र में, आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जारही विभिन्न योजनाओं के साथ–साथ उनकी प्रकृति का अध्ययन किया गया। साथ ही, ग्रामीण भारत में आदिवासी महिलाओं की साक्षरता के अध्ययन से पता चलता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए लागू की जारही शैक्षिक योजनाओं के कारण ग्रामीण भारत में ग्रामीण महिलाओं की साक्षरतादर बढ़ रही है।

Keywords : आदिवासी महिला आत्मविश्वास सशक्तीकरण

प्रस्तावना–

मौजूदा स्थिति में आदिवासी महिलाओं का सशक्तीकरण एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण के बिनादेश की सार्थक समावेशी वृद्धि संभव नहीं है। आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण को आय और प्रतिव्यक्ति आय, शिक्षा और व्यवसाय के अवसरों तक पहुंच और आर्थिक निर्णय लेने और राजनीतिक अवसरों में उनकी भागीदारी के लिए आर्थिक संसाधनों पर उनकी निर्भरता से मापा जा सकता है।

आदिवासी महिलाओंको अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा तक पहुँच की आवश्यकता है। आदिवासी महिलाओं के समावेशीविकास के लिए शिक्षा एक संभावित साधन है। इसका आदिवासी विकास के विभिन्न पहलुओं पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षा के माध्यम से उपेक्षित आदिवासी महिलाओंको सशक्त बनाना राष्ट्रीय विकास में एक लंबा रास्ता तय करेगा। आदिवासी महिलाओं की शैक्षिक स्थिति अन्य समुदायों की तुलना में बहुत कम है। राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा एक सशक्त साधन है।इसमें आदिवासी महिलाओं की स्थिति के उत्थान की शक्ति है।शिक्षा उपेक्षित आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने का एक उपकरण है।

समाज के कमजोर वर्गोंमें, आदिवासी वर्ग सबसे कमजोर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक हितों के लिए सरकार उन्हें विशेष ध्यान देने के लिए और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रयास कर रही है।

आदिवासी जंगल में रहने वाला पूरीतरह से पिछड़ा समुदाय है उनके समग्र विकास के बारे में लाने के लिए, सरकार ने उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं।

महिला सशक्तिकरण :–

महिला सशक्तीकरण की परिभाषा संसाधनों पर नियंत्रण या अधिकार हासिल करने की क्षमता (शारीरिक और वित्तीय दोनों) पर जोर देती है और ऐसे निर्णय लेने की है जो महिलाओं की जीवन गुणवत्ता सुनिश्चि तक रती है। आम तौरपर सशक्तिकरण को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल की जानेवाली

*सहाय्यक प्राध्यापक – आदर्श महाविद्यालय, देसाईगंज जि.गडचिरोली
**प्राचार्य – विद्याविकास महाविद्यालय, समुद्रपुर जि.वर्धा

Adarsh Arts & Commerce College Desaiganj
PRINCIPAL
Adarsh Arts & Commerce College,
Desaiganj (Wadsa) Dist.- Gadchiroli

शर्तों में शिक्षा, संसाधन नियंत्रण, आत्मविश्वास, गरिमा, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, अधिकारों के लिए संघर्ष, शक्ति, स्वतंत्रता, स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमता शामिल हैं। लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले पारंपरिक संस्थानों और संरचनाओं में इस तरह के बदलावों ने महिलाओं को समान अवसर दिए हैं, जो महिला सशक्तिकरण का आधार है।महिला सशक्तिकरण का अर्थ है की,महिलाओं में आत्म–सम्मान और आत्मविश्वास, सकारात्मक छवि, सोचने और प्रतिबिंबित करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, विकास प्रक्रिया में सहयोग सुनिश्चित, कानूनी ज्ञान को विकसित, अधिकारों के बारे में जागरूकता और सामाजिक और आर्थिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी भागीदारी बढ़ाना।

सशक्तिकरण किसी के सशक्तिकरण या असंतुलन के बारे में किसी के अपने निर्णय लेने के बारे में है। जैसे कि शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, भागीदारी, गतिशीलता, सार्वजनिक स्थानों पर टिप्पणी, अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी के बारे में जागरूकता और प्रवर्तन आदि। महिला सशक्तीकरण केवल सत्ता के पुनर्वितरण या भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत प्रणाली में भी बदलाव की आवश्यकता है।

अनुसंधान के उद्देश:–

1. आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का अध्ययन करना।
2. आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की प्रकृति का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण भारत में आदिवासी महिलाओं की साक्षरतादर का अध्ययन करना।

अनुसंधान की विधियां:–

प्रस्तुत शोध निबंध के लिए माध्यमिक तथ्यों का उपयोग किया गयाहै। यह पुस्तकालय और विश्लेषणात्मक अनुसंधान विधियों पर आधारित है।जो मुख्य रूप से संदर्भ पुस्तकों, पत्रिकाओं, विभिन्न सरकारी अहवाल, वेबसाइटों पर आधारित है।

आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना :–

महाराष्ट्र राज्य में आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को देखते हुए, सरकार ने केंद्रीय स्तरपर और राज्य स्तरपर ही प्रयास करने का निर्णय लिया और उस दिशा में सरकार ने केंद्रीय और राज्य स्तरपर विभिन्न प्रयास किए। विभिन्न आदिवासी विकास योजनाओं को तय करके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए। अनुसूचित जनजातियों को विकसित करने के लिए, व्यक्तिगत और सामूहिक लाभ जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, रोजगार, स्व–रोजगार, निपटानसुधार, कृषिगतिविधियों की कई योजनाएं लागू की जाती हैं।वे इस प्रकारहैं–

अ) शैक्षणीक विकास योजनाएं :–

यदि किसी पिछड़े समाज को सुधारना है, तो उस समाज में शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक है, जिसके बिना समाज का विकास नहीं हो सकता। आदिवासी समुदाय में अशिक्षा, अज्ञानता और अंधविश्वास उनके शोषण में सहायक रहे हैं। राज्य में आदिवासियों के शैक्षिक विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित शैक्षिकयोजनाएँ चला रही हैं।

1) सरकारी आश्रम स्कूल. 2) अनुदानित आश्रम स्कूल योजना. 3) आदर्श आश्रम स्कूल. 4) एकलव्य आवासीय विद्यालय. 5) आदिवासी लड़के और लड़कियों के लिए सरकारी छात्रावास. 6) सैन्य स्कूल और छात्रवृत्ति. 7) भारत सरकार के शालांत परीक्षा के बाद छात्रवृत्ति योजना. 8) शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति योजना. 9) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे आदिवासी छात्रों को निर्वाह भत्ता प्रदान करना.

उपरोक्त योजना के तहत, स्कूल में 10वी , 12वीं कक्षा तक के आदिवासी छात्रों की शिक्षा की सुविधा है।सरकारी छात्रावासों में योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता हैं। आश्रम स्कूल और छात्रावासों में रहकर पढनेवालों छात्रों को आवास, भोजन, वर्दी, बिस्तर, किताबें, और अन्य लेखन सामग्री सरकार द्वारा मुफ्त में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। छात्रों को शालांत परीक्षाओं के बाद या माध्यमिक विद्यालय में आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान करती है। जो छात्र भारत सरकार की छात्र वृत्ति जैसी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर पर प्रति पूर्ति की जाती है।

आर्थिक रूप से, अन्य वित्तीय रियायतों के बिना व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे है। उन छात्रों को निर्वाह भत्ता प्रदान करने की योजना है।

ब) प्रोत्साहनपर योजना :–

महाराष्ट्र में रहने वाले मुलनिवासी जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रयास कर रही है। जनजातीय विभाग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के समग्रविकास के लिए और उनमें गुणवत्ता में रुचि पैदा करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाएँ चलाई जाती हैं।

1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना. 2) विशेष प्राविण्य प्राप्त छात्रों के लिए प्रोत्साहन इनाम योजना. 3) आश्रम विद्यालयों को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार. 4) आदिवासी लड़कियों के बीच रिसाव को रोकने के लिए प्रोत्साहन भत्ता.

Adarsh Arts & Commerce College Desaiganj
PRINCIPAL
Adarsh Arts & Commerce College,
Desaiganj (Wadsa) Dist.- Gadchiroli

उपरोक्त योजना के तहत, आदिवासी छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए,समग्रविकास को सुनिश्चित करने और उन्हें शिक्षा के लिए, लड़कियों के बीच ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए और सरकारी और सहायता प्राप्त आश्रम विद्यालयों, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, स्कूल के वातावरण, विद्यालय के काम काज में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए, आश्रम विद्यालयों के कामकाज में कर्मचारियों की भागीदारीको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, है।

क) रोजगार और स्वरोजगार योजना :–

आदिवासी समुदाय पहाडी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने कें वजह सें उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। बड़ी संख्या में आदिवासी कृषि श्रम पर निर्भर हैं। आदिवासी किसान अल्पभूधारक और भूमिही न होने कें कारण उनको रोजगार के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी करदी है।इसलिए, महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम शुरू कियाहै।

1) सैन्य और पुलिस पूर्वभर्ती प्रशिक्षण :–

राज्य पुलिस बल, सेना और अन्य विभिन्न सुरक्षा दलों में अनुसूचित जनजातियों के युवाओंको अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में कुल 9 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। शारीरिक और शैक्षिक रूप से फिट 50 आदिवासी युवाओं को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि चार महीने है। आदिवासी प्रशिक्षणार्थीओं को भोजन, आवास, वर्दी, जूते, मोजे, बिस्तर, कंबल आदि निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।

2) कौशलविंकास प्रशिक्षण योजना :–

कौशलविकास नीति के अनुसार, प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करके आदिवासी उम्मीदवारों को रोजगार योग्य बनाया जाता है।इस योजना के तहत उत्पादन व प्रकिया टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल, माहिती तंत्रज्ञान, श्रमशक्ति विकास, स्वास्थ्य संवर्धन, निर्माण में प्रशिक्षण दिया जाता है। इन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी उम्मीदवारों के कौशल को विकसित करना और उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनानाहै।

3) कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना :–

आश्रम विद्यालयों के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से, सरकारी आश्रम विद्यालयों में कंप्यूटर कक्षाओं की स्थापना की गई है।

ड) कृषि पूरक आदिवासी योजना :–

महाराष्ट्र में आदिवासी विकास विभाग आदिवासी किसानों के लिए कुछ कृषि योजनाओं को लागू करता है, जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

1) किसानों को बिजली पंप / तेल पंप आपूर्ति योजना :–

टादिवासी किसानों को 100 प्रतिशत सब्सिडी पर बीजली पंप / तेल पंपों की आपूर्ति की योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत3 या 5 अश्व शक्ती कें बिजलीपंप / तेल पंप आम तौर पर मंजूर किए जाते हैं। जनजातीय उप–योजना क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र के आदिवासी किसान जिनके पास न्यूनतम 60 आर (1.5 एकड़) और अधिकतम 6 हेक्टर 40 आर (16 एकड़) खेती योग्य भूमि उपलब्ध है, ऐसे किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

2) स्प्रे और ड्रिप इरिगेशन स्कीम :–

जिलापरिषद के कृषि विभाग द्वारा इस योजना के तहत, ड्रिप और स्प्रेसेट के लिए 2 हेक्टर भूमि वाले आदिवासी किसानों के लिए 50 प्रतिशत, 2 सें 6 हेक्टर भूमि वाले आदिवासी किसानों के लिए 35 प्रतिशत और 6 हेक्टर से अधिक जमीन रखने वाले आदिवासी किसानों को 30 प्रति शत सब्सिडी दी जाती है।

3) भेड़ और बकरियों के समूह की आपूर्ति :–

आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत, 10 बकरियां और 1 बकरा का समूह 50 प्रतिशत अनुदान पर आदिवासी लाभार्थीकों दिया जाता है ।समूह की लागतनाबार्ड की प्रचलित दरों से निर्धारित होती है।

4) आदिवासी किसानों को गरीबीरेखा से नीचे लाने के लिए पैकेज योजना :–

गरीबीरेखा से नीचे किसानों की आर्थिक आय में वृद्धि करने, विकास प्रक्रिया में भाग लेने सक्षम बनाने के लिए और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह योजना आदिवासी परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ई) अन्य योजनाएं और कार्यक्रम :–

महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विकास विभाग की शैक्षिक, वित्तीय, प्रोत्साहन और कृषि पूरक योजनाओं और कार्यक्रमों के अलावा, आदिवासी विंकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विकास विभाग द्वारा कुछ अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया जाता है।

1) केंद्रीय बजट नाभिक बजट (अभिनव)योजना :–

आदिवासियों के विकास के लिए सरकार द्वाराकई योजनाएं लागू की जारही हैं, लेकिन स्थानीक जरूरतों ध्यान में लेकर, नियमीत योजनांए के तह तजो लाभ आवश्यक होने के बावजूद भी, आदिवासियों को प्रदान किये जाते नही। इस तरह के लाभ प्रदान करणे के लिए छोटी छोटी नवी नअवधारणा योजनाएं बनाकर आदिवासियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य के लिए केंद्रीय बजट के तहत नाभिक बजट प्रावधान का उद्देश्य है।

2) ठक्कर बप्पाआदिवासी बस्तिसुधार योजना :–

आदिवासीउप–योजना क्षेत्र के बाहरजो बस्तियाँ या गाँवो में लगभग 50 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या हैं किंतू जिनका

Adarsh Arts & Commerce College Desaiganj
PRINCIPAL
Adarsh Arts & Commerce College,
Desaiganj (Wadsa) Dist.- Gadchiroli

माडा, मिनी माडा पैकेट में शामिल नहीं है। ऐसे गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 2004–2005 से ठक्कर बप्पाआदिवासी बस्ति सुधार कार्यक्रम लागू किया गयाहै।

3) नवसंजीवन योजना :–

योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी उप–योजना क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी योजनाओं को समन्वित और नियंत्रित तरीके से लागू करना है ताकि सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसारचय नित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और जिससे क्षेत्र के लोगों का सक्रिय जीवन लम्बाहो सके। नवसंजीवन योजना के तहत रोजगार से संबंधित,स्वास्थ्य से संबंधित,पोषण से संबंधित,अन्नआपूर्ति से संबंधित कार्यक्रम एंव खावटी कर्ज योजना लागू किया गयाहै।

4) जननी सुरक्षा योजना :–

योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बीपीएल और एससी और एसटी से संबंधित महिलाओं की प्रसुती की संख्या को बढ़ाना और मातृ और शिशुमृत्युदर को कम करनाहै।

5) मातृत्व अनुदान योजना :–

परिस्थिति के कारण गर्भवती आदिवासी माताओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।दो महीने की प्रसुती पूर्व अवधि के दौरान, कड़ी मेहनत के कारण गर्भपात की संभावना है।इसलिए इन संवेदनशील समयों के लिए मातृत्व अनुदान योजना है।

6) राज राजेश्वरी बीमा योजना :–

गरीबी रेखासे नीचे की लड़कियों और महिलाओं को बिना किसी प्रीमियम का भुगतान किए विकलांगता की जिंदगी जीने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7) आदिवासी क्षेत्रों में कन्यादान योजना :–

टनुसूचित जनजाति में विभिन्न विवाह प्रथाएं दिखाई देती हैं।जो शादी समारोह के अवसर पर होने वाले भारी खर्च को कम करने और शादी समारोह में अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए सामूहिक विवाहको प्रोत्साहित करके ऐसे विवाह समारोहों में भागलेनेवाले जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कन्यादान योजना कियान्वीत हैं।

8) ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृतआहार योजना :–

डॉ ए पीजेअब्दुल कलाम अमृतआहार योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के आहार में कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को दिन में एक बार आंगनवाड़ी से तीन महीने पहले और प्रसुती के तीन महीने बाद ठोस आहार और आयरन की गोलियां दी जाती हैं।

ग्रामीण आदिवासी जनसंख्या और साक्षरता प्रमाण–

देश की कुल आबादी में आदिवासी 8.14 प्रतिशत हैं और देश के लगभग 15 प्रतिशत इलाके में रहते हैं। देश की ग्रामीण आबादी और पिछले चार निर्णायक जनगणना में ग्रामीण आदिवासियों की संख्या के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

देश की कुल ग्रामीण और ग्रामीण आदिवासी आबादी तुलनात्मक आंकड़े दिखाने वाली तालिका

जनगणना वर्ष	देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या (लाख)	देश की कुल ग्रामीण आदिवासी जनसंख्या (लाख)	देश की कुल ग्रामीण आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत
1981	5238.66	504.48	9.63%
1991	6286.91	627.51	9.98%
2001	7410.00	773.39	10.44%
2011	8330.80	938.19	11.26%

(स्रोत:–https://tribal.nic.in/ST/StatisticalProfileofSTs2013.pdf)

स्वतंत्रता के बाद की अवधि को देखते हुए, आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम थी। पहाड़ी और दूर्गम क्षेत्रों के इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं लागू की गई हैं। इसी समय, शैक्षणिक योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण, भारत और राज्य में आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ रहीहै।

साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना, यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता। विभिन्न देशों में साक्षरता के विभिन्न मानक हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अनुसार, एक व्यक्ति को साक्षर माना जाता है यदि उसके पास अपना नाम पढ़ने और लिखने की क्षमता है। किसी देश या राज्य की साक्षरता दर को कुल जनसंख्या का अनुपात और शिक्षित जनसंख्या कहा जाता है।

Adarsh Arts & Commerce College Desaiganj
PRINCIPAL
Adarsh Arts & Commerce College,
Desaiganj (Wadsa) Dist.- Gadchiroli

भारत में ग्रामीण आदिवासियों की साक्षरता दर

जनगणना वर्ष	जनजातीय		
	पुरुष	महिला	कुल
1961	13.37	2.90	8.16
1971	16.92	4.36	10.68
1981	22.94	6.81	14.92
1991	38.45	16.02	27.38
2001	57.39	32.44	45.02
2011	62.8	46.9	56.9

(स्रोतः —www.census2011.co.in/scheduled-tribes.php)

देश के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में साक्षरतादर के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि ग्रामीण आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर जनगणना वर्ष 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 में क्रमशः 10.47:, 12.56:, 16.13:, 22.43:, 24.95: और 15.9: प्रतिशत से ग्रामीण आदिवासी पुरुष की साक्षरतादर से कम है। इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण आदिवासियों की समग्र साक्षरता दर अधिक है।

निष्कर्ष :—

मौजूदा स्थिति में आदिवासी महिलाओं का सशक्तीकरण एक चुनौती पूर्ण मुद्दा है। आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण के बिनादेश की सार्थक समावेशी वृद्धि संभव नहीं है। आदिवासी पिछड़े जंगलों में रहने वाले समाज का हिस्सा हैं, इसलिए यह समाज काफी हद तक देश के ग्रामीण इला कों में रह रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें आदिवासी महिलाओं के समग्र विकास के लिए प्रयास करर ही हैं।

आदिवासी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के साथ—साथ आदिवासी महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं।

साथ ही, यह समाज शैक्षिणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसलिए आदिवासी विकास विभाग के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू विभिन्न शिक्षा योजनाओं के माध्यम से देश और राज्य में आदिवासी महिलाओं की साक्षरता दर 1961 की जनगणना के बाद से बढ़ रही है।

आदिवासी विकास विभाग के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जारही विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक योजनाओं के माध्यम से, यह देखा जाता है कि आदिवासी महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण का स्तर बढ़ रहाहै।

सन्दर्भ :—

1. डॉ.एस.जी.देवगांवकर ,आदिवासी विकास प्रशासन,श्री साईनाथ प्रकाशन,नागपूर.
2. महिती पुस्तिका—महाराश्ट्र शासन आदिवासी विकास विभागसन 2015—16.
3. डॉ.मंजु शुक्ला, महिला साक्षरता एवं सशक्ति करण ए भारत प्रकाशन लखनऊ,
4. डॉ, शैलजा देवगांवकर , डॉ.डॉ.एस.जी.देवगांवकर , आदिवासी विश्व ,श्री साईनाथ प्रकाशन,नागपूर.
5. डॉ.डॉ.एस.जी.देवगांवकर ,आदिवासीं चे जीवन आणि संस्कृती , श्री साईनाथ प्रकाशन,नागपूर.
6. डॉ. राज विलासकार मोरे , निलेश हलामी, आदिवासींच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागाचे शिक्षणातील योगदान, Drishtikon (Bimonthly Hindi Journal) Vol-11-Issue-05-September-Octomber,2019
7. https://tribal.maharashtra.gov.in
8. https://trti.maharashtra.gov.in/index.php/en/statewise-total-tribal-population
9. https://www.census2011.co.in/scheduled-tribes.php
10. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Indian_states_and_union_territories_by_literacy_rate
11. https://tribal.nic.in/ST/StatisticalProfileofSTs2013.pdf
12. http://mahatribal.gov.in/1166/Tribal-Sub-Plan
13. https://tribal.maharashtra.gov.in/1098/Important-GRs?DocType=c6c44345-999b-4c8f-9ad5-cc7b35503ccb

Adarsh Arts & Commerce College Desaiganj
PRINCIPAL
Adarsh Arts & Commerce College,
Desaiganj (Wadsa) Dist.- Gadchiroli